न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 17/2023–24

–:आदेश:–

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन सं0– RCMSON23049836 के आलोक में अंचल अधिकारी, बलियापुर से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, बलियापुर द्वारा अपने पत्रांक– 1547, दिनांक– 11.12.2023 से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. मोहन महतो, 2. सुदेश महतो, 3. विजय कुमार महतो, पिता– स्व0 निवारण महतो, साकिन– बाघमारा, पो0– बाघमारा, थाना– बलियापुर, जिला– धनबाद, अपनी जमीन मौजा– बाघमारा, मौजा नं0– 197, गत् खाता सं0– 23, गत् प्लॉट सं0– 638, हाल खाता सं0– 392, हाल प्लॉट सं0– 729, रकवा– 04 डिसमील भूमि श्रीमती भारती महतो, पति– अनिल चन्द्र महतो, साकिन– बाघमारा, पो0– बाघमारा, थाना– बलियापुर, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी है तथा दोनो एक ही थाना– बलियापुर, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 84.5 डिसमील शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा 46 (1)(b) के तहत् आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

3/5/24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

3/5/24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2024.07.02 14:55:52 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner